

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं० दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट –ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड
गढीकैन्ट, देहरादून–248003(उत्तराखण्ड)
फोन:–135–2559898

वेबसाईट :WWW.uttarakhandtourism.gov.in

संख्या- 03 /2-6-केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट /2021 देहरादून: दिनांक 17 अप्रैल 2021

श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट

–:विज्ञप्ति:–

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीन “श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट” के संचालन हेतु निम्नलिखित रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों/प्रतिष्ठानों/सार्वजनिक उपकरणों/परिषदों में कार्यरत कार्मिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।
1- संयुक्त सचिव – 01 पद, 2- विशेष कार्याधिकारी-01 पद, 3- तकनीकी विशेषज्ञ/परामर्शदाता-01,
4- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-01 पद, 5-लेखाकार-01 पद,

इच्छुक अभ्यर्थी अधोहस्ताक्षरी को अपना आवेदन पत्र/बायोडाटा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से दिनांक- 7-5-2021 तक भेज सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपरी भाग पर स्पष्ट रूप से पद का नाम अंकित करना आवश्यक होगा। रिक्त पद के लिये निर्धारित अर्हताओं, अनुभव तथा वेतन आदि के सम्बन्ध में विस्तृत सूचनाएं विभागीय वेबसाईट WWW.uttarakhandtourism.gov.in एवं www.shrikedarnathcharitabletrust.uk.gov.in पर देखी जा सकती हैं।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त वर्णित किसी या समस्त पदों को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सचिव

श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्

पं० दीन दयाल उपाध्याय पर्यटन भवन,
निकट -ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड
गढीकैन्ट, देहरादून-248003(उत्तराखण्ड)
फोन:-135-2559898

वेबसाईट :www.uttarakhandtourism.gov.in/ www.shrikedarnathcharitabletrust.uk.gov.in

संख्या- 03 /2-6-केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट /2021 देहरादून: दिनांक 17 अप्रैल 2021
उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के अधीन "श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट" के संचालन हेतु निम्नलिखित रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से निम्नलिखित पदों को प्रतिनियुक्ति द्वारा भरने के सम्बन्ध में प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत इच्छुक कर्मचारी जो पदों के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित अर्हता रखते हो, के आवेदन पत्र एतद्द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं-

क्र० सं०	पदनाम	वेतनबैण्ड/संशोधित वेतन मैट्रिक्स	पदों की संख्या	प्रतिनियुक्ति के पद पर तैनाती हेतु अर्हतायें
1	2	3	4	5
1	संयुक्त सचिव	लेवल- 10 (56100-177500) अथवा अपने संवर्गानुसार	01	ऐसे कार्मिक जो उत्तराखण्ड प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी अथवा अतिरिक्त प्रभार द्वारा।
2	विशेष कार्याधिकारी	लेवल- 10 (56100-177500) अथवा लेवल-10 से निम्न लेवल	01	ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार के किसी विभाग में लेवल-10 अथवा उससे निम्न वेतन में कार्यरत कार्मिक जिन्हें चारधाम के कार्यों का 05 वर्ष का अनुभव हो, प्रतिनियुक्ति द्वारा
3	तकनीकी विशेषज्ञ/ परामर्शदाता	निर्धारित नियत मानदेय (अन्तिम आहरित वेतन-पेंशन के आधा पर)	01	राज्य सरकार के किसी विभाग प्रतिष्ठान से मुख्य अभियन्ता स्तर के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा के आधार पर तैनाती।
4	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल- 8 (47600-151100)	01	ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार के किसी प्रतिष्ठान में उक्त वेतनमान में कार्यरत अधिकारी जिन्होंने उक्त पद पर 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो प्रतिनियुक्ति द्वारा।
5	लेखाकार	लेवल-6 (35400-112400)	01	ऐसे कार्मिक जो राज्य सरकार के किसी प्रतिष्ठान में उक्त वेतनमान में या सहायक लेखाकार के पद पर 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिक को प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रतिनियुक्ति हेतु अन्य शर्तें एवं अनुभव-

1-उपरोक्त पदों हेतु उत्तराखण्ड सरकार के अधीन सरकारी विभागों में कार्यरत ऐसे कार्मिक जिन्होंने उक्त पद पर निर्धारित परीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो, उपरोक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती के पात्र होंगे।

2-आवेदक को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अनुभव से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र, अपने नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र, उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित/योजित न होने व उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/विजिलेन्स जांच लम्बित/प्रचलित न होने का प्रमाण-पत्र तथा पिछले पांच वर्ष (पांच वर्ष से कम सेवाकाल होने की स्थिति में सम्पूर्ण सेवाकाल) की चरित्र प्रविष्टियां आवेदन-पत्र के साथ अवश्य संलग्न करनी होगी।

- 3-सम्बन्धित कार्मिक का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति मे किसी भी समय प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त कर दी जायेगी।
- 4-सम्बन्धित कार्मिक को तैनाती स्थान पर साक्षात्कार/कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
- 5-सम्बन्धित कार्मिकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
- 6- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की जायेगी तथा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि प्रथमतः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष के लिये होगी, यदि किसी कर्मचारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो उक्त अवधि से पूर्व ही उसकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस लौटाया जायेगा।
- 7- प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक व्यक्ति अपने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित निर्धारित प्रणाली से अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से सचिव , श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट पं० दीनदयाल उपाध्याय पर्यटन भवन, (निकट-ओ०एन०जी०सी० हैलीपैड), निम्बूवाल, गढीकैन्ट, देहरादून के पते पर दिनांक-7-5-2021 सायं 5:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित कर सकते है, अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव

श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के अधीन "श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट" प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव,विशेष कार्याधिकारी,तकनीकी विशेषज्ञ/ परामर्शदाता,वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,लेखाकार के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप-

1	अभ्यर्थी का नाम						स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो
2	पिता का नाम						
3	आवेदित पद का नाम (प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करने होंगे)						
4	स्थायी पता						
5	पत्र व्यवहार का पता						
6	जन्मतिथि						
7	मोबाईल नम्बर						
8	ई-मेल आईडी						
9	पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	तकनीकी विषय का नाम	प्राप्तांक / पूर्णांक	प्रतिशत	
10	उत्तराखण्ड के सम्बन्धित विभाग में समान पद एवं समान वेतनमान में कार्य करने का अनुभव	विभाग/संस्थान का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स / लेवल	कब से कब तक	कुल सेवा अवधि	
11	अन्य अनुभव-						

दिनांक-
स्थान

हस्ताक्षर
नाम एवं पता